(3)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

# रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 518/85-86 1986.

यह प्रमाणित किया जाता है कि महिमा शिक्षा समिति, जयपुर जिला जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक उन्नीस माह फरवरी सन् एक हजार नौ सौ छियासी को जयपुर में दिया गया।

(जी. एस. शर्मा)
रजिस्ट्रार संस्थाएं
जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

28·02·12

ISTY Bey Laws.

FINAL

# महिमा शिक्षा समिति

ए–18, शान्ती पथ, तिलक नगर, जयपुर

# विधान (नियमावली)

# संशोधित

For Mahima Shiksha ...

Secretary/Treasurer

For Mahima Shiksha Samiti

Secretary/Treasurer

# महिमा शिक्षा समिति, जयपुर

## विधान नियमावली (संशोधित)

1. संस्था का नाम : महिमा शिक्षा समिति है व रहेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय व कार्य क्षेत्र : ए–18, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर, राजस्थान राज्य।

पत्र व्यवहार : सीडलिंग पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4, पार्कलेन, जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान राज्य।

3. संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:–

1. *शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन व नियंत्रण करना।*
2. *शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार हेतु राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/अन्य संस्थानों/कंपनियों से जानकारी एवं सहयोग प्राप्त कर उनका क्रियान्वयन करना।*
3. *समिति द्वारा स्थापित एवं अन्य स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, रिसर्च संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों इत्यादि को वित्तीय एवं अन्य संसाधनों द्वारा सहयोग करना, उनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्यक्रम चलाना एवं उनके माध्यम से शिक्षा संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करना।*
4. *अन्य शिक्षण संस्थानों के संचालन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार का सहयोग करना।*
5. *अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयास करना एवं उनसे संबंधित कार्य करना।*
6. *समिति के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी, हायर सैकेण्ड्री स्कूल, महाविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, रिसर्च संस्थान की स्थापना, संचालन व नियंत्रण करना।*
7. *ऐसे सभी कार्यो, कार्यक्रमों को आयोजित करना जिससे छात्र/छात्राओं को बेहतर व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु मनोवैज्ञानिक, सामाजिक रूप से अधिकाधिक प्रेरित किया जा सके।*
8. *केन्द्रीय व राज्य सरकार, अन्य संस्थाओं NGO's द्वारा प्रेरित शैक्षिक व सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन करना व भागीदारी निभाना।*
9. *विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों, नर्सिंग एवं अन्य की स्थापना*

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

करना, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन व नियंत्रण करना।

10. विभिन्न तकनीकी, अभियांत्रिकी, प्रबन्धकीय, वैज्ञानिक, शैक्षिक संस्थाओं, पर्यटन, फिल्म टेक्नोलोजी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं, कॉलेज की स्थापना करना, उनका संचालन व नियंत्रण करना एवं इन सभी क्षेत्रों से संबंधित रिसर्च सेन्टर, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना करना, संचालन व नियंत्रण करना।

11. इन सभी संस्थानों/ कॉलेजों/ विश्वविद्यालय हेतु केन्द्र/राज्य सरकार, विभिन्न संस्थानों, अन्य संस्थानों से ऋण, सहायता, अनुदान प्राप्त करना व इस हेतु उपयोग करना एवं एन आर आई तथा फाउन्डेशन एवं वैश्विक संस्थानों से सहायता प्राप्त करना।

12. चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अस्पताल बनाना, रिसर्च सेन्टर, स्पेशलाईजेशन क्लॉक, रिहेबिलिटेशन सेन्टर, ओल्ड एज होम की स्थापना, संचालन व नियंत्रण करना।

13. विद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों के संचालन एवं उनकी स्थापना हेतु राजकीय, अराजकीय स्तर पर जमीन खरीद करना/लीज पर लेना।

13. समिति के अंतर्गत उद्यानों, पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों, वानस्पतिक उद्यानों, विश्राम ग्रहों का विकास करना, पर्यावरण से संबंधित संस्थानों की स्थापना करना एवं वन औषधियों, पौध संरक्षण हेतु कार्यक्रम बनाना, गोद लेना।

14. छात्रों के मनोरंजन के लिये साधन जुटाना, सभी प्रकार के मनोरंजन के लिए साधन एकत्रित करना, संचालन करना।

15. विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पद्धतियों के बारे में रिसर्च करना, इस हेतु विदेशी संस्थाओं से जानकारी, सहयोग, प्रशिक्षण प्राप्त करना। विदेशी व्यक्तियों, छात्रों को इस संबंध में जानकारी, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना एवं विदेशी संस्थानों से शैक्षणिक आदान–प्रदान कार्यक्रम हेतु सहयोग करना।

**4. सदस्यता** : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति/संस्था के सदस्य बन सकेंगे।

(1) संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास हों।

(2) बालिग हों।

(3) पागल, दीवालिया न हों।

(4) संस्था के उद्देश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।

(5) संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

**5. संस्था का वर्गीकरण** : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे:–

(1) संरक्षक (2) विशिष्ट (3) सम्मानीय (4) साधारण

**6. सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा** : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क चन्दा देय होगा:

1. संरक्षक राशि 2501/– वार्षिक/आजन्म

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

2. विशिष्ट राशि 2001/– वार्षिक/आजन्म।
3. सम्मानीय राशि 1001/– वार्षिक
4. साधारण 501/– वार्षिक

**7. सदस्यता के निष्कासन :** संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:

1. मृत्यु होने पर।
2. त्याग पत्र देने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

**8. साधारण सभा :** संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।

**9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य:** साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा दिये गये कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था के सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना।
   (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा)

संस्थाएं जयपुर

**10. साधारण सभा की बैठकें :**

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।

अध्यक्ष    मंत्री    कोषाध्यक्ष

3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व आवश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जावेगी।

4. कोरम के अभाव में बैंठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित की जा सकेगी। स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व ऐजेण्डा में थे।

5. संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करेन पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे, तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. कार्यकारिणी का गठन : संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे:–

1. अध्यक्ष – एक
2. उपाध्यक्ष – एक
3. मंत्री – एक
4. उपमंत्री – एक
5. कोषाध्यक्ष – एक
6. सदस्य – चार

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व 4 सदस्य कुल 9 सदस्य होंगे।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन : 1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 3 वर्ष की अवधि के

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

लिये साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2. चुनाव प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होंगेः–

1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना, सेवामुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को कियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप–समितियाँ बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठकें :

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 3 बैठकें अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी, तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय मे दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे, जो पूर्व ऐजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैंठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्यः : संस्था के प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होगें:—

1. अध्यक्षः
1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आहूत करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2. उपाध्यक्षः
1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

3. मंत्रीः
1. बैठकें आहूत करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय—व्यय पर नियन्त्रण करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र — व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

4. उप मंत्रीः
1. मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2. अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी / मंत्री द्वारा सौपे जावें।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर

अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष

5. कोषाध्यक्षः

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. चन्दा शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. "संस्था के द्वारा चलाये जाने वाली शिक्षण संस्थाओं के हि प्रतिदिन व नियमित कार्यो के लिए स्वविवेक से तुरंत निर्ण लेना जिसमें सम्बन्धित स्कूल के लिए अध्यापकों, स्टॉफ उनके खिलाफ जॉच कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करना शिक्षण संस्थाओं के हितों के रक्षार्थ ऐसे समस्त कार्य करना कोषाध्यक्ष शिक्षण संस्थाओं का "चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा।"
5. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. संस्था का कोष : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी।
2. अध्यक्ष / मंत्री / कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन सम्भव होगा।

17. कोष संबधित विशेषाधिकारः संस्था के हित तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि स्वीकृत कर सकेंगे। राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।

18. संस्था के अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखों – जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

अध्यक्ष

मंत्री

कोषाध्यक्ष

# महिमा शिक्षा समिति, जयपुर

## तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

| क्र. सं. | विधान की धारा संख्या | पंजीकृत विधान का पुराना नियम | विधान में संशोधित किया गया नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | संस्था के उद्देश्य | 1. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना व उनका संचालन करना। | 1. शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना एवं उनका संचालन व नियंत्रण करना। |
| | | 2. शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार हेतु राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार से जानकारी एवं सहयोग प्राप्त कर उनका क्रियान्वयन करना। | 2. शिक्षा के अधिकाधिक प्रसार हेतु राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/ अन्य संस्थानों / कंपनीयों से जानकारी एवं सहयोग प्राप्त कर उनका क्रियान्वयन करना। |
| | | 3. समिति के अन्तर्गत प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन करना तथा आवश्यकतानुसार प्राथमिक, उच्च प्राथमिक के साथ–साथ सैकेण्डरी एवं सीनियर हायर सैकंण्डरी स्कूल का संचालन करना। | 3. समिति के अन्तर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी स्कूल, महाविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालय, उच्च प्रशिक्षण संस्थान, रिसर्च संस्थान की स्थापना, संचालन व नियंत्रण करना। |
| | | 4. ऐसे सभी कार्य करना जिससे छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु मनोवैज्ञानिक ढंग से अधिकाधिक अभिप्रेरित करना। | 4. ऐसे सभी कार्यो, कार्यक्रमों को आयोजित करना जिससे छात्र/छात्राओं को बेहतर व गुणवता पूर्ण शिक्षा हेतु मनोवैज्ञानिक, सामाजिक रूप से अधिकाधिक प्रेरित किया जा सके। |

Contents Executed read over and ... correct by ... 22.12.2012

... Distt. ... (Raj.)

For Mahima Shiksha Samiti

President / Treasurer/Secretary

For ...

President /

For Mahima Shiksha Samiti

President / Secretary, Treasurer

| | |
|---|---|
| 5. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रेरित कार्यक्रमों का संचालन करना। | 5. केन्द्रीय व राज्य सरकार, अन्य संस्थाओं NGO's द्वारा प्रेरित शैक्षिक व सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन करना व भागीदारी निभाना। |
| 6. अस्पताल हेतु भवन बनाना, रिसर्च सेन्टर, स्पेशलाईज ब्लाक, आई.सी.यू. एवं ओल्डऐज होम का संचालन करना। | 6. विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों, नर्सिंग एवं अन्य की स्थापना करना, शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन व नियंत्रण करना। |
| 7. विद्यालय कॉलेज एवं कार्यक्रमों हेतु राजकीय व अराजकीय स्तर पर जमीन खरीद करना। राजकीय एवं केन्द्रीय सहायता प्राप्त करना। | 7. विभिन्न तकनीकी, अभियांत्रिकी, प्रबन्धकीय, वैज्ञानिक, शैक्षिक संस्थाओं, पर्यटन, फिल्म टेक्नोलोजी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं, कॉलेज की स्थापना करना, उनका संचालन व नियंत्रण करना एवं इन सभी क्षेत्रों से संबंधित रिसर्च सेन्टर, कॉलेज, विश्वविद्यालय की स्थापना करना, संचालन व नियंत्रण करना। |
| 8. छात्रों के मनोरंजन के लिए साधन जुटाना, सभी प्रकार के मनोरंजन के लिए साधन एकत्रित करना, संचालन करना। | 8. इन सभी संस्थानों/ कॉलेजों/ विश्वविद्यालय हेतु केन्द्र/राज्य सरकार, विभिन्न संस्थानों, अन्य संस्थानों से ऋण, सहायता, अनुदान प्राप्त करना व इस हेतु उपयोग करना एवं एन आर आई तथा फाउन्डेशन एवं वैशविक संस्थानों से सहायता प्राप्त करना। |

GOVT OF INDIA

For Mahima Shiksha Samiti

Secretary/Treasurer

President /

President/

22.02.2012

9. समिति के अन्तर्गत उद्यानों, पार्कों, समुदाय केन्द्रों व विश्राम गृह का विकास करना।

10. प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन करना।

11. विद्यालय संचालन एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करना तथा आवश्यकतानुसार एन आई आर तथा फाउण्डेशन से सहायता प्राप्त करना।

9. चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित अस्पताल बनाना, रिसर्च सेन्टर, स्पेशलाईजेशन ब्लॉक, रिहेबिलिटेशन सेन्टर, ओल्ड एज होम की स्थापना, संचालन व नियंत्रण करना।

10. विद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों के संचालन एवं उनकी स्थापना हेतु राजकीय, अराजकीय स्तर पर जमीन खरीद करना/लीज पर लेना।

11. समिति के अंतर्गत उद्यानों, पार्कों, सामुदायिक केन्द्रों, वानस्पतिक उद्यानों, विश्राम गृह का विकास करना, पर्यावरण से संबंधित संस्थानों की स्थापना करना एवं वन औषधियों, पौध संरक्षण हेतु कार्यक्रम बनाना, गोद लेना।

12. छात्रों के मनोरंजन के लिये साधन जुटाना, सभी प्रकार के मनोरंजन के लिए साधन एकत्रित करना, संचालन करना।

13. विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पद्धतियों के बारे में रिसर्च करना, इस हेतु विदेशी संस्थाओं से जानकारी, सहयोग, प्रशिक्षण प्राप्त

NOTARY GOVT OF INDIA

22-02-2012

For Ma... Samiti

President / Treasurer / Secretary

President /

For Mahima Shiksha Samiti

Secretary Treasurer

231

करना। विदेशी व्यक्तियों, छात्रों को इस संबंध में जानकारी, प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना एवं विदेशी संस्थानों से शैक्षणिक आदान–प्रदान कार्यक्रम हेतु सहयोग करना।

14. समिति द्वारा स्थापित एवं अन्य स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों, रिसर्च संस्थानों, उच्च शिक्षण संस्थानों इत्यादि को वित्तीय एवं अन्य संसाधनों द्वारा सहयोग करना, उनके साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्यक्रम चलाना एवं उनके माध्यम से शिक्षा संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति करना।

15. अन्य शिक्षण संस्थानों के संचालन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार का सहयोग करना।

16. अपने विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयास करना एवं उनसे संबंधित कार्य करना।

NOTARY

President/ Treasurer

Contents Executed read over and ... correct President/ ... Executed

22-02-2017

For Mahima ... Samiti

Secretary Treasurer

17. विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शिक्षा से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को आर्थिक सहयोग, अनुदान, ऋण एवं अन्य सभी प्रकार का सहयोग देना।

18. देश में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए देशी–विदेशी सभी प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से कार्यक्रम चलाना, प्रोजेक्ट करना।

19. शिक्षकों की ट्रेनिंग के कार्यक्रम स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं / व्यक्तियों के सहयोग से चलाना।

20. चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की योजनाओं के लिए आर्थिक, वित्तीय एवं अन्य सहायताएें, अनुदान प्रदान करना अथवा प्राप्त करना तथा उनसे सम्बन्धित चिकित्सालयों, हॉस्पीटल, औषधालयों इत्यादि की स्थापना में सहयोग करना एवं चिकित्सा तथा स्वास्थ्य परियोजनाओं को स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से संचालित करना/करवाना अथवा उसमें सहयोग करना, समिति के उद्देश्यों वाली अन्य संस्थाओं की

President/

President/

For Mahima Shiksha Samiti

Secretary, Treasurer

238.

आर्थिक व अन्य प्रकार से सहायता करना, उनकी परियोजनाओं में सहयोग करना, उन्हें अनुदान देना अथवा उनके साथ संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित/प्रायोजित, संचालित करना एवं करवाना। इसके अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा एवं सेवा से सम्बद्ध चिकित्सालय, चिकित्सा केन्द्र, औषधालय, रोगियों के एवं उनके परिजनों के सेवार्थ सुविधायें स्थापित करना, रख–रखाव एवं निर्माण में सहयोग करना।

21. इसमें कोई निजी लाभ निहित नहीं हैं।

238

23-2-12

For Mahima ...

Secretary Treasurer

President / Treasurer / Secretary

Contents Executed read over and admitted correct by Executant Before ATTESTED

22-02-2012

NOTARY

Jaipur Distt. Jaipur (Raj.)

For Mahima ...

President / Treasurer / Secretary

President /

For Mahima ...

Secretary Treasurer

# Mahima Shiksha Samiti

दिनांक : 12.04.2011

महोदय,

महिमा शिक्षा समिति के त्रिवर्षीय चुनाव दिनांक 11.04.2011 को सम्पन्न हुए। जिसमें निम्न व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर चुना गया।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री धर्म सिंह जैन | अध्यक्ष |
| 2. | श्रीमती मोहिनी बख्शी | सचिव |
| 3. | श्री बी.के. जैन | उपाध्यक्ष |
| 4. | श्री संदीप बख्शी | कोषाध्यक्ष |
| 5. | श्रीमती इन्दु टिक्कू | सदस्य |
| 6. | श्री जी.एन. शर्मा | सदस्य |
| 7. | श्री आनन्द ऐरन | सदस्य |
| 8. | श्रीमती ज्योति मेहरोत्रा | सदस्य |
| 9. | डॉ. प्रीति बख्शी | सदस्य |
| 10. | श्री आलोक आनन्द | सदस्य |
| 11. | श्री उमेश शर्मा | सदस्य |

Govind.
(गोविन्द अग्रवाल)
चुनाव अधिकारी

244
28.2.12

Postal Address:
Seedling Public School Sector-4, Jawahar Nagar, Jaipur- Ph: 0141-2650994, 2654399
Regd. Address:
A-18, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302 004
E-mail: seedlingacademy@hotmail.com

# Mahima Shiksha Samiti

महिमा शिक्षा समिति के सदस्य

| क्र.स. | नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| 1. | डा. बी. के. जैन | अध्यक्ष | तिलक क्लिनिक, राजापार्क, जयपुर |
| 2. | श्रीमती मोहिनी बक्शी | सचिव | ए–18, शान्तीपथ, तिलक नगर, जयपुर |
| 3. | श्री आर. के शर्मा | उपाध्यक्ष | बी – 5, आदर्श नगर रोड़, फतेहटीबा, जयपुर |
| 4. | श्री सन्दीप बक्शी | कोषाध्यक्ष | ए–18, शान्तीपथ, तिलक नगर, जयपुर |
| 5. | श्रीमती इन्दू टिक्कू | सदस्य | 4–य–16, जवाहर नगर, जयपुर |
| 6. | श्री जी. एन. शर्मा | सदस्य | 7, नारायण नगर, लाल सिंह जुड़ो कालोनी, टांक रोड़, जयपुर |
| 7. | श्री आनन्द ऐरन | सदस्य | आनन्द नर्सरी, टोंक रोड़, जयपुर |
| 8. | श्री आलोक आनन्द | सदस्य | 4–क–1, जवाहर नगर, जयपुर |
| 9. | श्री उमेश शर्मा | सदस्य | म. नं. 3286, मध्य श्री त्रिलोकीनाथजी, भिण्डो का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर |
| 10. | श्री एम. एस. बक्शी | सदस्य | ए–18, शान्तीपथ, तिलक नगर, जयपुर |
| 11. | श्रीमती मीना बत्रा | सदस्य | 627, आदर्श नगर, जयपुर |
| 12. | डा. माला ऐरन | सदस्य | आनन्द नर्सरी, टोंक रोड़, जयपुर |
| 13. | श्रीमती ज्योति महरोत्रा | सदस्य | 60, लक्ष्मण कालोनी, श्याम नगर, जयपुर |
| 14. | डा. प्रिती बक्शी | सदस्य | ए–18, शान्तीपथ, तिलक नगर, जयपुर |
| 15. | डा. दिव्या श्रीवास्तव | सदस्य | ऑफिसर क्रेम्पस, सीड़लिंग ऐकेडमी, जगतपुरा, जयपुर |
| 16. | कुमारी आकाक्षां बक्शी | सदस्य | "बक्शी विला" आर. टी. ओ. ऑफिस के पास, जगतपुरा, जयपुर |

For Mahima Shiksha Samiti
President
अध्यक्ष

For Mahima Shiksha Samiti
Secretary
मंत्री

For MAHIMA SHIKSHA SAMITI
Treasurer
कोषाध्यक्ष

## महिमा शिक्षा समिति के सदस्य

| क्र.सं. | नाम | पद | पता |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री धर्म सिंह जैन | अध्यक्ष | 21, गिरनार, धर्मसिंह चौराहा, गोविन्द मार्ग, जयपुर |
| 2. | श्रीमती मोहिनी बख्शी | सचिव | ए–18, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर |
| 3. | श्री बी.के जैन | उपाध्यक्ष | तिलक क्लिनिक, राजापार्क, जयपुर |
| 4. | श्री संदीप बख्शी | कोषाध्यक्ष | ए–18, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर |
| 5. | श्रीमती इन्दू टिक्कू | सदस्य | 4–य–16, जवाहर नगर, जयपुर |
| 6. | श्री जी.एन. शर्मा | सदस्य | 7, नारायण नगर, लालसिंह जुडो कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर |
| 7. | श्री आनन्द ऐरन | सदस्य | आनन्द नर्सरी, टौंक रोड, जयपुर |
| 8. | श्री आलोक आनन्द | सदस्य | 4–क–1, जवाहर नगर, जयपुर। |
| 9. | श्री उमेश शर्मा | सदस्य | म.नं. 3286, मध्यश्री त्रिलोकीनाथ जी, भिण्डों का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर। |
| 10. | श्री एम.एस. बख्शी | सदस्य | ए–18, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर |
| 11. | श्रीमती मीना बत्रा | सदस्य | 627, आदर्श नगर, जयपुर |
| 12. | डा. माला ऐरन | सदस्य | आनन्द नर्सरी, टौंक रोड, जयपुर |
| 13. | श्री समीर व्यास | सदस्य | C/O व्यास नर्सिंग होम के पास, अजमेर रोड़, सोढाला, जयपुर। |
| 14. | श्रीमति जगजीत कौर | सदस्य | 63, विनोभा विहार, मालवीय नगर, जयपुर। |
| 15. | डा. दिव्या श्रीवास्तव | सदस्य | ऑफिसर कैम्पस, सींडलिग ऐकेडमी, जगतपुरा, जयपुर। |
| 16. | श्रीमती ज्योति मेहरोत्रा | सदस्य | 60, लक्ष्मण कॉलोनी, श्याम नगर, जयपुर |
| 17. | डॉ. प्रीति बख्शी | सदस्य | ए–18, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर |

Contents Executed read over and ... rect by Ex... TED

1.../02/2017

For Mahima S... Samiti
अध्यक्ष
DS/...

For Mahima Shiksha Samiti
मन्त्री

For Mahima ... Samiti
कोषाध्यक्ष

# Appendix-6

## Format of the list of the management executive to be submitted by the institution

Name of the institution : **Mahima Shiksha Samiti**

Office Address : **A-18, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur**

List of management executives selected in the general meeting held on 11th January 2025

| S.No. | Name | Father Name | Occupation | Address | Designation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Dr. B.K. Jain** | **Malti Prasad Jain** | Doctor | A-87, Panchsheel Enclave, Gokul Bhai Bhatt Marg, J.N.U. Marg, Durgapura Jaipur-302018 | President |
| 2 | **Dr. Sandeep Bakshi** | **Malook Singh Bakshi** | Educationist | A-18, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur-302004 | Secretary |
| 3 | **Ms. Preeti Bakshi** | **Manohar Das Agrawal** | Educationist | A-18, Shanti Path, Tilak Nagar, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 | Treasurer |
| 4 | **Mr. Umesh Kumar Sharma** | **Hari Narayan Sharma** | Business | 3286, Bindon Ka Rasta, Chandpole Bazar, Jaipur | Member |
| 5 | **Ms. Treena Chakravertty** | **Arun Kumar Mukherjee** | Service | 286, Gayatri Nagar A, Maharani Farm, Durgapura, Jaipur -302018 | Member |
| 6 | **Mr. Anand Airun** | **Suraj Karan Airun** | Business | Anand Nursery, behind Tiny tots school, Lal Khoti Scheme, Gandhi Nagar, Jaipur - 302015 | Vice President |
| 7 | **Ms. Akansha Bakshi** | **Sandeep Bakshi** | Business | A-18, Shanti Path, Tilak Nagar, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 | Joint Secretary |
| 8 | **Ms. Indu Tickoo** | **Jagan Nath Tickoo** | Retd. Principal | 4 Ya 16, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 | Member |
| 9 | **Dr. Divya Shrivastava** | **Sharad Kumar Saxena** | Service | 1, Seeding Academy Campus, Near New RTO Office Khonagoriyan, Jagatpura, Jaipur-302017 | Member |
| 10 | **Ms. Purnima Nag** | **S. N. Nag** | Service | 520, Barkat Nagar, Near Mahesh Nagar Railway Phatak Tonk Phatak, Lal Kothi, Gandhi Nagar, Jaipur-302015 | Member |
| 11 | **Ms. Kiran Soorma** | **L. R. Verma** | Teacher | 246, A-4, Vashisht Marg, Raja Park, Jawahar Nagar, Jaipur-302004 | Member |
| 12 | **Ms. Gurpreet Puri** | **Narinder Singh** | Teacher | Flat No. 203, Krishna Kunj, Plot No. 141, Krishna Sarovar, Near iskcon temple, dholai, Mansarovar, Jaipur-302020 | Member |
| 13 | **Mr. Kedar Mal Sharma** | **Shanker Lal Sharma** | Service | 13, Bhanwata, Chainpura, Newai, Tonk-304021 | Member |
| 14 | **Smt. Preeti Sharma** | **Sudhir Kumar Sharma** | Teacher | W/o Anand Sharma, B-10, Dhurv Marg, Tilak Nagar, Jaipur-302004 | Member |
| 15 | **Smt. Kavita Arora** | **Shree Ram Juneja** | Teacher | W/o Kishan Arora, 71, Jagat Niwas, Gayatri Nagar-A, Maharani Farm, Jaipur-302018 | Member |

**(President)** **(Secretary)** **(Treasurer)**

NOTARY JAGDISH ADVOCATE JAIPUR (RAJ.) REG. NO. 23474 EXP. DT. 24-09-2026 GOVT. OF INDIA

ATTESTED NOTARY PUBLIC JAIPUR RAJASTHAN (INDIA) 15 FEB 2025